न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : मूलचन्द लूणिया {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 65/2019

1. रमेश कुमार उर्फ रमेश चन्द पुत्र भगत राम उर्फ भगतु राम जाति कम्बोज निवासी चक 57 एफ तहसील श्री करणपुर। --वादी--

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार श्री करणपुर।

--प्रतिवादी--

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट, 88 आरटीए

--निर्णय-- दिनांक : 16.03.2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 57 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 81/06 के मु.न. 35 के किला न. 4 की 0.088 हैक्टर, किला न. 5 ता 7, 13 ता 18 व 23 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 3.124 हैक्टर नहरी भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के परिवारजन ग्रामीण अंचल के थे जो वादी को स्नेह से रमेश कुमार के स्थान पर रमेश चन्द व वादी के पिता को भगतराम के स्थान पर भगतु राम कहते रहे है। जबकि वादी के दस्तावेज विद्यालय में दर्ज नाम रमेश कुमार तथा वादी के पिता का नाम भगत राम दर्ज करवाया गया था के अनुसार रमेश कुमार पुत्र भगत राम के नाम से बने हुए है। उक्त कृषि भूमि उसके पूर्वजों द्वारा खरीद कर लगवायी गयी। चूकि वादी के पूर्वज अनपढ थे, और वादी को घरेलू स्तर पर रमेश चन्द के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था। इसलिए बैयनामा करवाते समय पारिवारिक बुजूर्गो ने वादी के विद्यालय के नाम रमेश कुमार वादी के पिता के नाम भगत राम के स्थान पर उनके बोलते नाम रमेश चन्द पिता का नाम भगतु राम दर्ज करवा दिया। यही नाम कालान्तर में जमाबन्दी में दर्ज कर दिया गया, जो आज तक भी राजस्व अभिलेख में दर्ज होता चला आ रहा है। वादी अपने नामों में उत्पन्न हुई उक्त विभिदता को समाप्त कर इसे राजस्व अभिलेख में रमेश चन्द पुत्र भगतु राम के स्थान पर रमेश कुमार उर्फ रमेश चन्द पुत्र भगत राम उर्फ भगतु राम संशोधित करवाना चाहता है। वास्तव में रमेश कुमार पुत्र भगत राम व रमेश चन्द पुत्र भगतु राम एक ही व्यक्ति के नाम है। जिन्हे संशोधन किया जाना न्यायसंगत है। वादी को उक्त जानकारी होने पर उन्होंने राजस्व अभिलेख में शुद्वि किए जाने हेतु प्रतिवादी से निवेदन किया तो उन्होनें कहा कि यह खातेदारी अभिलेख की शुद्वि का प्रकरण है, जिसे दावा पेश कर ही संशोधित करवाया जा सकता है, इसका अधिकार माननीय न्यायालय को ही प्राप्त है, यही वाद कारण है। वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 57 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 81/06 के मु.न. 35 के किला न. 4 की 0.088 हैक्टर, किला न. 5 ता 7, 13 ता 18 व 23 ता 25 प्रत्येक सालम-सालम कुल 3.124 हैक्टर नहरी भूमि में दर्ज वादी के नाम एंव वल्दियत को रमेश चन्द पुत्र भगतु राम को संशोधित कर रमेश कुमार उर्फ रमेश चन्द पुत्र भगत राम उर्फ भगतु राम संशोधित किया जावे।

वाद पत्र पेश होन पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्री करणपुर के पंत्राक 9176 दिनांक 10.02.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार रमेश चन्द पुत्र भगतु राम के नाम चक 57 एफ की चालू जमाबन्दी खाता संख्या 90 में मु.न. 35 में कुल 3.124 हैक्टर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मौका पर पूछताछ के अनुसार उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि रमेश चन्द पुत्र भगतु राम और रमेश कुमार पुत्र भगत राम दोनो एक ही व्यक्ति है।

<u>रमेश कुमार उर्फ रमेश चन्द बनाम राजस्थान सरकार</u>
<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एल.आर.एक्ट प्रकरण संख्या 65/2019</u>

बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, प्रार्थना पत्र स्वीकार हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादी के द्वारा चक 57 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 81/06 के मु.न. 35 में वादी का नाम रमेश चन्द पुत्र भगतु राम के स्थान पर रमेश कुमार उर्फ रमेश चन्द पुत्र भगत राम उर्फ भगतु राम दर्ज किये जाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज यथा राश्न कार्ड, मूल निवास, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविग लाईसेंस, भामाशाह कार्ड, पैन कार्ड, में रमेश कुमार पुत्र भगत राम अंकित है। जमाबन्दी में नाम रमेश चन्द पुत्र भगतु राम दर्ज है। वादी का वाद पत्र स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर तथा पत्रावली में साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर चक 57 एफ की जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के खाता संख्या 81/06 के मु.न. 35 में वादी का नाम रमेश चन्द पुत्र भगतु राम के स्थान पर रमेश कुमार उर्फ रमेश चन्द पुत्र भगत राम उर्फ भगतु राम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाते के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आश्य का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्री करणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2020.03.16 16:49:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: